

Qy i lsk jki. k vuqlu

mnas': %

विभाग द्वारा कृषकों को फल पौध रोपण हेतु प्रोत्साहित करना एवं उत्पादन उपरान्त कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना तथा प्रदेश को फल पौध उत्पादन एवं उत्पादकता में आत्म निर्भर बनाना ।

i to/ku %

आम, नीबू फलों के बगीचे लगाने पर नावार्ड द्वारा निर्धारित इकाई लागत आम 34400, नीबू 52180 का 25 प्रतिशत अनुदान पाँच वर्ष का देय होगा । रोपण वर्ष के बाद कृषकों को पौधों के पात्र सही रखरखाव करने पर 80 प्रतिशत पौध जीवित होने पर देय होगा ।

dlki ytkk ysI drk gS!

योजना का लाभ सामान्य, अ.ज.जा. एवं अ.जा. वर्ग के कृषक जिनके पास सिचाई की सुविधा उपलब्ध हो रकबा कम से कम 1/4 हेक्टर अधिकतम 2.00 हेक्टर तक लाभ ले सकते हैं ।

; kt uk dk ytkk dS sys% tS s&

1- fdl lsl i dZdjA

सहायक संचालक उद्यान डिण्डौरी, उद्यान अधीक्षक शासकीय संजय निकुंज स्थापित रोपणी डिण्डौरी, करौदी (शहपुरा) बजाग देवरी (अमरपुर) एवं विकासखण्डों में मैदानी विस्तार कार्यकर्ता ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी से संपर्क करें ।

2- vlonu ik i dglal sihr djA

उद्यान अधीक्षक शासकीय संजय निकुंज स्थापित रोपणी डिण्डौरी, करौदी (शहपुरा) बजाग देवरी (अमरपुर) एवं विकासखण्डों में मैदानी विस्तार कार्यकर्ता ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारियों से प्राप्त कर आवेदन किया जा सकता है ।

3- vlonu djus dk rjldk A

माह—जनवरी, फरवरी में निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त कर आवेदन किया जा सकता है ।

4. vko'; d nlrkot ।

पटवारी द्वारा नक्शा, खसरा, पाँच शाला फल पौध रोपण कार्य हेतु ।

*l gk d l pkyd m/ku
ft yk fM Msh 1/2 0i 0 1/2*